

14-10-2022

यत्नावली गेश हुई। अपीलान्त आवेकता हय।  
यत्नावली के अवलोकन से जाहिर आया कि  
अपीलान्त द्वारा तहसील क्षेत्र बिजौलिया के  
नामांतरकरण की अपील की है, जबकि तहसील  
बिजौलिया का सुनवाई का क्षेत्राधिकार <sup>मा.</sup> न्यायालय  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को है।  
अतः प्रकरण की सुनवाई का अवकाशिकार एवं  
क्षेत्राधिकार मा. न्यायालय अतिरिक्त जिला  
कलक्टर, भीलवाड़ा का होने से यह यत्नावली  
प्र.सं. 09/2022 अपील अंतर्गत धारा 75 LRA  
में ही न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा  
को स्थानांतरित की जाती है। उभयपक्ष मा.  
न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के  
समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 09.11.2022 को  
गेश हो।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा